(ख) यदि हां, तो नोटिसों का ब्यौरा क्या है और दिल्ली वासियों से इस संबंध में क्या औपचारिकताएं पूरी करने की अपेक्षा की गई है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली वासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशासन सुधार और लोक शिकायत विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने के संबंध में नीति विषयक विस्तृत मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने तथा लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित मसलों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। इन अनुदेशों के अनुसरण में, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन ने एक अधिकारी को शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया है जिस पर उनसे संबंधित विशिष्ट शिकायतों के निवारण संबंधी कार्य को देखने की जिम्मेदारी है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों में लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धान्त भी जारी करता है। लेकिन, उनके कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों का निवारण उनके द्वारा ही किया जाना होता है। पेंशन संबंधी मामलों पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। तथापि, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय द्वारा समाचार-पत्रों में जन-सूचनाएं प्रकाशित करवाई जाती हैं और जनता से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित विभागों से संबंधित अपनी शिकायतों के बारे में उन्हें लिखें अथवा किसी भी कार्यदिवस को 10.00 बजे से 1.00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलें:—

— सरकारी क्षेत्र की बैंक
— जीवन बीमा निगम
— सामान्य बीमा निगम
— ओरियन्टल बीमा कम्पनी
— नेशनल बीमा कम्पनी
— यूनाइटेड बीमा कम्पनी
— न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी, सहित
— डाक घर
— दूरभाष तथा तार कार्यालय
— रेलवे
— नागर विमानन विभाग
— एयर इंडिया
— इंडियन एयर लाइन्स/वायुदूत, सहित
— शहरी विकास मंत्रालय
— दिल्ली विकास प्राधिकरण
— केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
— सम्पदा निदेशालय
— भूमि तथा विकास कार्यालय
— भूतल परिवहन मंत्रालय
— दिल्ली परिवहन निगम
— महानिदेशक नौवहन
— पोर्ट ट्रस्ट, सहित

ये सूचनाएं जन हित के लिये देश के सभी भागों से जारी की जाती हैं जिनमें निम्नलिखित को छोड़कर, अन्य मामलों से संबंधित लोक शिकायतें आमंत्रित की जाती हैं:—

1. नीति संबंधी मामले
2. सेवा संबंधी मामले, ग्रेच्यूटी, सामान्य भविष्य निधि आदि जैसे टर्मिनल लाभों को छोड़कर)
3. वाणिज्यिक संविदाएं
4. ऐसे मामले जो न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम, एम०आर०टी०पी०सी० आदि में न्यायिक निर्णय के लिये विचाराधीन हैं।

रेलवे दावे संबंधी मामले

2. उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतों की देख-रेख प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की जाती है।

3. शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिये इस मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। किसी भी शिकायत याचिका के प्राप्त होने पर, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर याचिका-दाता को जवाब भेजा जाना होता है। यदि शिकायत के पर्याप्त निवारण में अधिक समय लगता हो तो याचिका-दाता को एक उपर्युक्त सूचना भेजनी पड़ती है जिसमें, यथासंभव, इसमें लगने वाले संभावित समय का संकेत देना पड़ता है। यदि याचिका-दाता को इन कार्यालयों से उचित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता तो वह इस मंत्रालय को लिखने के लिये स्वतंत्र हैं।

Special Programme for T.B.

811. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any special programme for

TB patients and free treatment to the needy persons in the country;

(b) if so, what are the reasons for compelling the patients to purchase necessary medicines from the open market and not providing the same by the concerned Government Hospitals;

(c) what is the role of Heart Care Foundation of India and Non-Governmental organisations in preventing the TB disease in the country; and the achievements made so far in this regard; and

(d) the effective steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Yes, Sir.

(b) No such report has been received by the Government.

(c) 48 Non-governmental organisations including Heart Care Foundation are providing free treatment to TB patients.

(d) The National TB Control Programme is being implemented in the country since 1962 as a Centrally Sponsored Scheme on 50 : 50 sharing basis. Under the Programme free treatment is being given to all patients. A revised strategy is being adopted to strengthen the programme and substantially improve cure-rates. The strategy is being implemented in 15 Project sites with World Bank assistance on a trial basis.

Disillusioned Government Doctors turn to Private Bonanzas

812. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) wether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the Times of India of 28th August, 1995 under the caption "Disillusioned Government doctors turn to private bonanzas"; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Yes, Sir.

(b) Doctors working in Central Government Hospitals/Institutions are not leaving their jobs in large numbers. Some doctors mainly at the middle level have left AIIMS for alternative jobs.

Allotments made by Greater NOIDA Development Authority

813. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of applications vis-a-vis allottees in Alpha, Beta, Gama Societies schemes of Greater Noida Development Authority, separately;

(b) the number of persons who have taken the possession of their plots till date, scheme-wise;

(c) the number of persons who are still waiting and the reasons therefor;

(d) whether possession letters with certain discrepancies were issued by the Authority;

(e) if so, whether fresh and revised possession letters have since been issued; and

(f) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DEPTT. OF URBAN EMPLOYMENT) AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI S.S. AHLUWALIA): (a) The details obtained